आर टी आई मामला/समयबद्ध

फा. सं. ।।-18015/71/2013-एन एम.।।।

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(नक्सल-प्रबंधन प्रभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक, 26.12. 2013

सेवा में

श्री हरपाल सिंह राणा
ए-1 ग्राम एवं डाकघर-कादीपुर
दिल्ली-110036

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके दिनांक 04.11.2013 के आवेदन सं. 13-11-34 के तहत मांगी गई सूचना।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके दिनांक 04.11.2013 के आवेदन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 27.11.2013 के का. ज्ञा. स. ए-43020/01/2013-आर टी आई का अवलोकन करें।

उपर्युक्त आवेदन के बिंदु सं. (5) से (10) के संबंध में उपलब्ध सूचना निम्नानुसार मुहैया करवाई जा रही है:-

1. वामपंथी उग्रवादियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राज्य सरकारों की अपनी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीतियां हैं। तथापि, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय योजना (एस आर ई) के तहत, केन्द्र सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा वामपंथी उग्रवादी काडरों के आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है।

2. भारत सरकार ने 'प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवादियों के लिए आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास योजना' को और अधिक व्यावहारिक एवं व्यापक बनाने के लिए दिनांक 1.4.2013 से इसमें संशोधन किया है। जब सरकार द्वारा दिशानिर्देशों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई तब इनमें संशोधन किया गया। दिशानिर्देशों/नीति में संशोधन के लिए कोई तारीख या समय सीमा निर्धारित नहीं थी।

3. संशोधित नीति में पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्च रैंक के वामपंथी उग्रवादी काडरों के लिए 2.5 लाख रु. का तत्काल अनुदान, तथा मध्यम/निचले रैंक के वामपंथी उग्रवादी काडरों, जिन्होंने संबंधित राज्य सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, के लिए 1.5 लाख रु. का तत्काल अनुदान प्रदान किया जाना शामिल था। इसके अलावा, आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए

...क्रमश: 2/-

4000/- रु. की मासिक वृत्तिका प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उक्त योजना के तहत हथियारों/गोलाबारूद इत्यादि के समर्पण हेतु प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है।

अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत इस सूचना के संबंध में अपील, यदि कोई हो, इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव, नक्सल प्रबंधन प्रभाग, कक्ष सं. 193-ए/1, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के समक्ष की जाएगी।

(रामबीर सिंह)
निदेशक (एन एम)
एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रति प्रेषित:-

1. श्री एस सामंत, अवर सचिव (आर टी आई), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को उनके दिनांक 27.11.2013 के का. ज्ञा. सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में।

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 27/11/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ हरपाल सिंह राणा का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के ~~संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री हरपाल सिंह राणा के दिनांक 04/11/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में~~ प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतरण द्वारा दिनांक: 18/11/2013 को प्राप्त) को एन.एम. प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये। प्रधानमंत्री कार्यालय के

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क ~~दिनांक ..../..../2013 की रसीद से .... के तहत~~ जमा कर दिया है ~~(संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

सु. सामंत

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (एन.एम.)

गृह मंत्रालय,

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ हरपाल सिंह राणा

ए-1, आर.ब्लॉक, कादीपुर,

दिल्ली - 110036.

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

U.S. (NM III) 3/12

SO(NM-III) 3/12

3/12/2013

Sh. Vikas 1254/NM-III 3/12/2013

61/Dir NM-I/3/12/13 3/12/13

C-195897/HS/13
13-11

7020/RTI/2013
27/11/13

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/5727/2013-पीएमआर

दिनांकः 12/11/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री हरपाल सिंह राणा से प्राप्त दिनांक 4.11.2013 का आवेदन-पत्र क्रमांक 13/11/34, जो इस कार्यालय में दिनांक 8.11.2013 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(सैयद इकराम रिज़वी)
उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2307 4072

HS

JS(A)

गृह सचिव, गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री हरपाल सिंह राणा
ए-1, ग्राम व पोस्ट कादीपुर
दिल्ली - 110 036

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

14/11/13

DS(E)

US RTI

Dir (NM)

श्रीमान, दिनांक-4-11-13 क्र-अ-11-34

5727/13 - 11 NOV 13

जन सूचना अधिकारी
प्रधानमंत्री कार्यालय
दिल्ली

5727/13

FRONT RECEIPT OFFICE
08 NOV 2013
DAK SECTION

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन

1. [illegible] हिन्दी में दें।
2. [illegible] में दें।
3. [illegible] 3/11/34
[illegible] 4-11-13 [illegible] अवश्य दें।
4. [illegible]

URGENT
Diary No. 13223
& Date 08/11/13
Last Date for Disposal 13/11/13

MHA

5. नक्सलियों के समर्पण का स्वर्ण उठाने को केन्द्र की नई नीति जारी की गई है के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।
6. योजना पर विचार कब आरम्भ किया गया।
7. योजना पर कार्य कब आरम्भ होना था व कब आरम्भ किया गया।
8. योजना पर किया जाने वाला या किये गए बजट की आज तक की जानकारी विषय अनुसार किए गए खर्च को अलग-2 दें।
9. योजना के ऐसे कार्य-2 कार्य हैं जो अभी तक आरम्भ होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो पाए हैं, कार्य अनुसार कार्य आरम्भ की तिथि अभी तक कार्य आरम्भ न होने का कारण। कार्य आरम्भ होने की संभावित प्रस्तावित तिथि अलग-2 बताएं।
10. योजना के उद्देश्यों की संक्षिप्त जानकारी दें।

IPO No. 13F 846394 ₹10/-

हरपाल सिंह राणा
A-1, गांव व डाक. बादीपुर,
दिल्ली-110036
9136235057

3857368